संख्या-सोलन(पंच)ग्राम सभा-2016-भाग- VII 5189-5194
कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सोलन,हि0प्र0 ।

सेवा में,

समस्त खण्ड विकास अधिकारी
जिला सोलन,हि0प्र0

सोलन 173211 दिंनाक 28th अगस्त, 2024

विषयः- Regarding The Comprehensive Mass Campaign for International Day for Disaster Risk Reduction (DDRR)"SAMARTH 2024" Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat Level.

महोदय

उपरोक्त विषयक निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)06/07- ग्राम सभा -11 लूज-1/468320/2024/दिनांक 24.08.2024 जो उपायुक्त महोदय जिला सोलन को सम्बोधित है तथा प्रति इस कार्यालय के साथ-2 आपको भी पृष्ठाकिंत की गई है, कि छायाप्रति आपको इस अनुरोध सहित प्रेषित की जा रही है कि आप अपने अधीन पडने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को दिनांक 02.10.2024 को आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक में उपरोक्त पत्र में दिये गए एजेण्डे को शामिल करने के निर्देश जारी करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्त

भवदीय,

(जोगिन्द्र प्रकाश राणा)
जिला पंचायत अधिकारी,
सोलन, जिला सोलन हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्याः-यथोपरिः-5195-5196 दिंनाक 28th अगस्त, 2024

प्रतिलिपिः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को सूचनार्थ।
2 उपायुक्त, सोलन जिला सोलन को सूचनार्थ ।

जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सोलन हि0प्र0।

जिला पंचायत अधिकारी,
पावती संख्या 3499
दिनांक 28/08/2024

No:PCH-HA(1)6/07-Gram Sabha-II-Loose-I/468320/2024
Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj

From

Director-cum- Special Secretary (PR) to the
Government of Himachal Pradesh

To

All the Deputy Commissioner,
Himachal Pradesh.

Shimla-9, the Dated:- 24-08-2024

Subject:- **Regarding the Comprehensive Mass Campaign for International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) "SAMARTH 2024": Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat Level.**

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of letter received from the Director-cum-Special Secretary (Rev.-DM) to the Government of Himachal Pradesh on the subject cited subject and to inform you that the services of 300 engineers and 1500 technical assistants of RD & PR across the state at the Panchayat level in this campaign' and they will sensitize and create awareness at Panchayat level during the Gram Sabha meeting which will be held on 2nd October 2024. The services of Aapda Mitras, Disaster Management Authorities (DDMAs), and its own technical personnel's will also be utilized in this campaign . The copy of suggestive agenda is enclosed as Annexure-I.

You are, therefore requested to issue the directions to all the Gram Panchayats under your jurisdiction to include the agenda of Comprehensive Mass Campaign for International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) "SAMARTH 2024": Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat Level, for upcoming Gram Sabha to be held on 2nd October, 2024.

Yours faithfully,

Signed by
Raghav Sharma
Date: 24-08-2024 16:32:10
Director,
Panchayati Raj Department,
Himachal Pradesh, Shimla-9

Endst. No-as stated above-I/468320/2024Dated:- 24-08-2024

Copy forwarded to.-

1. The Director-cum-Special Secretary (Rev.-DM) to the Government of Himachal Pradesh for information please.
2. All the District Panchayat Officer, Hinachal Pradesh for further necessary action.
3. All the Block Development Officer, Himachal Pradesh for further necessary action.

Digitally signed
Director,
Panchayati Raj Department,H.P.

DEO
DPO
27/8/24

3058
19/08/24

Rev. (DMC) (F) 11-45/2018-IDDRR-III (2024)
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue (DM Cell)

From

Additional Chief Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

The Director,
Department of Rural Development & Panchayati Raj,
SDA Complex ,Kasumpti Shimla - 9,
Himachal Pradesh.

Dated Shimla - 2 the 16th August, 2024

Subject: **Regarding the Comprehensive Mass Campaign for International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) 'SAMARTH 2024': Promoting Safe Construction Practices at Gram Panchayat Level.**

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to inform you that a meeting was held under the Chairmanship of the undersigned on July 29th, 2024, at 2:30 PM, in the NIC VC Conference Hall, Armsdale Building, HP Secretariat, Shimla. The meeting was regarding **"Safe Construction Practices"** and planning the State-Wide Campaign for the same (copy of the proceedings enclosed).

During the meeting, it was decided that *"The Rural Development Department, will utilise the services of their workforce of over 300 engineers and 1500 technical assistants across the state at the panchayat level in this campaign, and they will sensitise and create awareness at the Panchayat level during the* ***Gram Sabha meeting*** *which will held* ***on 2nd October 2024****. The services of the Aapda Mitras, District Disaster Management Authorities (DDMAs), and its own technical personnel will also be utilised by RDD in this campaign."*

In this regard, a suggestive agenda for the upcoming Gram Sabha in October 2024 is enclosed at Annexure-I to ensure a coordinated effort in promoting disaster resilience and effective management practices at the grassroots level. For any queries or additional requirements, please contact Dr. Krishan Chand, Training and Capacity Building Specialist, DMC-HPSDMA, at 82191-96800 / 0177-2880221, or via email at sdma-hp@nic.in, dr.krishanchand@hp.gov.in.

Yours faithfully,
16/8/24

DC Rana (I.A.S.)
Director cum Ex Officio
Special Secretary (Rev.-DM) to the GoHP

LC-I 19/8/24 Annexure I not received. 19/8/24

Endst. No. As above Dated Shimla - 2 the August, 2024

Copy forwarded to

1. All the Coordinators, DDMAs for necessary action and compliance.
2. All Deputy Commissioner-cum-Chairman, District Disaster Management Authority, Himachal Pradesh for the information, please.

Director cum Ex Officio
Special Secretary (Rev.-DM) to the GoHP

Annexu

समर्थ, 2024

Suggestive Agenda of the Gram Sabha Meeting

ग्राम सभा की बैठक का सुझावात्मक एजेंडा

ग्राम सभा के लिए आपदा प्रबंधन विषय पर मुद्दा (Agenda)

भूमिका:-

वर्तमान में आपदा प्रबंधन सतत विकास की प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर आपदा हेतु पूर्व तैयारी व आपदाओं के जोखिमों को कम करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों व ग्रामीण समुदाय की है। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर समझ विकसित करने व क्षमता वृदि पर ध्यान दिया जाए व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि आपदा प्रबंधन पर स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अपने दायित्वों को समझें व इस महत्वपूर्ण विषय पर जन जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित करें। आपदा प्रबंधन के विषय पर सभी प्रधानों व उप-प्रधानों के प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन पर राज्य कार्यकारी समिति (एस०ई०सी०) ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों का आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 की धारा 41 के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों के कर्तव्यों क वर्णन किया गया है-

अध्याय 6

स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)

"(1) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) जिला प्राधिकरण (District Disaster Management Authority) के निर्देश के अधीन रहते हुए-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया ज रहा है जिससे वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लि उपलब्ध रहेंगे;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजन राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण क्रियाकलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्‍ समझे।"

सभी स्थानीय प्राधिकारी व पंचायत प्रधानों से अनुरोध है कि वे आगामी अक्तूबर / नवम्बर माह 2020 को ह वाली ग्राम सभाओं में आपदा प्रबंधन विषय पर एक मुद्दा भी शामिल करें। ग्राम सभा के लिए आपदा प्रबं विषय पर चर्चा हेतु मुद्दे निम्न प्रकार से है:-

- ग्राम सभा क्षेत्र में होने वाली आपदाओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपायों त कार्य योजना बनाने पर चर्चा।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कि धारा 41 में पंचायत को दी गई जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा।
- पंचायती राज संस्थान (PRI) के सदस्यों ने आपदा प्रबंधन के सभी चरणों (आपदा से पूर्व, आपदा दौरान और आपदा के बाद) आपदा के बाद प्रतिक्रिया चरण से आपदा के जोखिम को कम करने के ि शमन और तैयारियों के चरणों तक महत्वपूर्ण भूमिका पर बहस।
- सिविल डिफेंस एक्ट 1968 को सिविल डिफेंस (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा 2010 की अधिसू संख्या 3 द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन को नागरिक सु कॉर्पस (**Civil Defense Corps**) के लिए एक अतिरिक्त भूमिका के रूप में शामिल किया गया है जि सभी पंचायत प्रधानों को **Civil Defense Warden** का दर्जा दिया गया है।
- हिमाचल प्रदेश मे सिविल डिफेन्स की संरचना इस प्रकार है:
    - उपायुक्त एवं अध्यक्ष, डीडीएमए (DDMA) को जिलों में नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के रूप में नियु किया गया है।
    - जिलों के कमांडेंट हिमाचल होम गार्ड को उस जिले में नागरिक सुरक्षा के उप
    - नियंत्रक के रूप में सशक्त किया गया है।
    - उप मंडल मजिस्ट्रेट को उप मण्डल में नागरिक सुरक्षा कॉर्पस के सदस्य के
    - नामांकन की शक्ति का उपयोग करने के लिए उप-नियंत्रक के रूप में नियुक्त
    - किया गया है।
    - ग्राम पंचायत के संबंधित प्रधान को उनकी पंचायत का नागरिक सुरक्षा वार्डन
    - नियुक्त किया गया है।

अतः प्रधान ग्राम पंचायत अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जागरूक हो ।

- हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) ने राज्य में बेहतर आपदा तैयारी प्रतिक्रिया के लिए 10-15 युवा स्वयंसेवकों के कार्य बल के सृजन पर एक योजना शुरू की है। इस लिए सिविल डिफेंस जैसी एक संरचना की आवश्यकता है। • प्रस्तावित सिविल डिफेन्स संरचना स्वयंसेवकों को सक्षम कर सकेगी जिन्हें राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- हालांकि, सिविल डिफेंस वालंटियर्स के प्रस्तावित ढांचे को मजबूत करने से राज्य की आपदा प्रबं क्षमता में जमीनी स्तर पर भी काफी वृद्धि होगी।

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवक पंचायत प्रधान के अधीन कार्य करेंगे ताकि पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। पंचायत अपने क्षेत्र में 18-35 वर्ष के युवाओं की प्रशिक्षण हेतु सूची तैयार करें।
- Civil Defense का notified स्वरूप निम्न प्रकार से होगा:

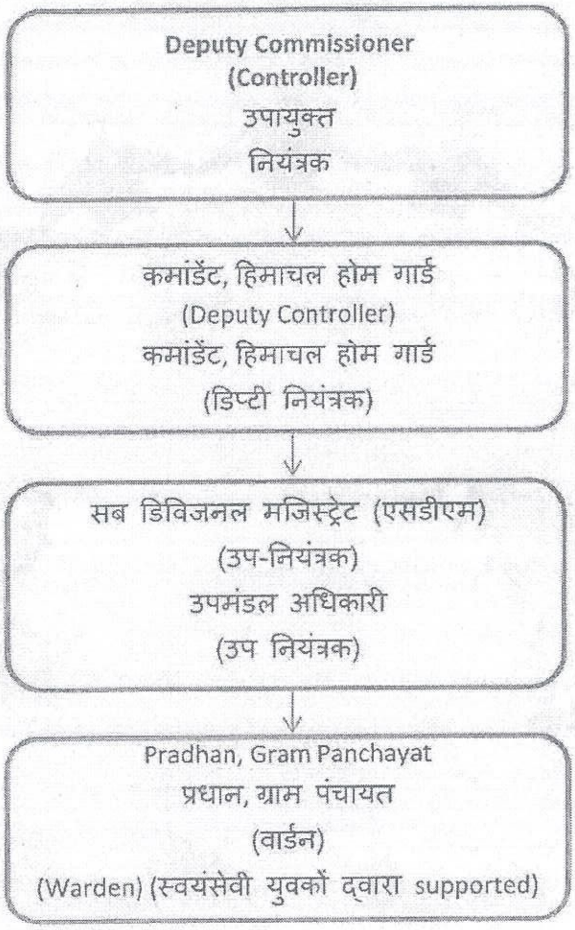

- पंचायत आपदा प्रबंधन हेतु संलग्न संदेश को पढ़कर सुनाएँ।

अधिक जानकारी के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क करें या Toll free नम्बर 1077 व 1070 पर संपर्क करें ।

अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (IDDR) दिवस

" समर्थ -2024 "

आपदा प्रबन्धन जागरूकता अभियान

13 अक्टूबर को विश्व भर में *"अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (IDDR) दिवस"* के रूप में मनाया जाता है, ताकि आपदाओं के प्रति लोगों को जागरुक किया जा सके तथा आपदाओं से होने वाले जान व माल के नुकसान को कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (HPSDMA) वर्ष 2011 से इस दिवस को "समर्थ" के रूप में मना रहा है, जिसमें लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाता है।

"हिमाचल ने यह ठाना है, आपदा को हराना है ।

प्रयास न जाए कोई व्यर्थ, बनेगें सक्षम, बनेगें समर्थ ॥"

हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं की दृष्टि से अति संवदेनशील है। आपदाएं हर व्यक्ति एवं जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। इसीलिए आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर मंथन किया जाना चाहिए।

- भूस्खलन शमन गतिविधियों के बारे में।
- सुरक्षित निर्माण प्रथाओं और पारंपरिक निर्माण को बढ़ावा देना।
- भवन निर्माण के लिए असुरक्षित पहाड़ी की कटाई और उसके प्रभाव।
- सुरक्षित मलबे के निपटान की आवश्यकता।
- बारिश के जल की निकासी प्रणाली की आवश्यकता।
- प्राकृतिक जल निकासी क्षेत्रों (नले एवं नदियों) में निर्माण को प्रतिबंधित करना।
- जल निकास चैनलों के विसकुलन पर ध्यान देना।

आपदाओं के प्रभाव को कम करने के कए कुछ उपाए इस प्रकार से हैं :-

- अपने आस पास के खतरों को पहचानें तथा उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास करें ।
- घरों / भवनों का निर्माण इस प्रकार से करें कि वे भूकम्प एवं आपदा रोधी हो।
- पहले से बने घरों / भवनों की मजबूती की जांच करवाएं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें सुदृढ़ करें।
- घर में आपातकालीन किट, जिसमें सूखा भोजन, आवश्यक दवाएं, टार्च, रेडियो तथा पीने के पानी इत्यादि को हमेशा तैयार रखें।
- आपातकालीन चिकित्सा प्राथमिक सहायता (Medical Fist Aid) व खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिसके लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से (1070 Toll Free Number) पर संपर्क करें ।

- आपदाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा सुरक्षा के उपाए जानें ।
- पूर्व चेतावनी (Early Warning) के प्रति सजग रहें व समय रहते उचित कदम उठाएं।
- घरों / कार्यालयों में लगे अग्निशमन (Fire Fighting) के यंत्रों को चलाना सीखें।
- अफवाहों पर ध्यान न दें व सही जानकारी के लिए Radio / TV पर सूचना प्राप्त करें।
- अपने परिवार की आपातकालीन योजना तैयार करें ।

हमेशा याद रखें:

"सुरक्षा जीवन का अर्थ है ।
बिना सुरक्षा सब व्यर्थ है ।। "